न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : सुश्री रेखा गुर्जर

राजस्व वाद संख्या : 102/2017

दायर दिनांक : 07.11.2017

नियर्ण दिनांक : 25-3-22

उनवान

01. हंसराज पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

— वादी

बनाम

01. सुरेश पुत्र मनोहर जाति गुर्जर निवासी बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. सत्यवीर पुत्र मनोहर जाति गुर्जर निवासी बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
03. बिमला देवी पत्नि हंसराज जाति गुर्जर निवासी बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. श्रीमान तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

— प्रतिवादीगण

दावा तकासमा एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वादीः– श्री अनिल कुमार यादव एड.
02. प्रतिवादीगणः– 03 की ओर से श्री किशोर कुमार एड.

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र 212 के निस्तारण हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 1.19 हैक्टेयर वाके मौजा बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी है विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की खरीद शुदा संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा विवादित आराजी का मौके पर हम खातेदार द्वारा आपसी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से मुताबिक नजरी नक्शा के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती मे होने के कारण सामलात में राजस्व लगान अदा करते आ रहे है विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाने के लिये यह दावा पत्र तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 विवादित आराजी पर आपसी बंटवारा करके काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है विवादित आराजी के तरफ पूर्व भाग पर प्रार्थी अपने हिस्से 1/2 भाग पर तथा तरफ उत्तरी–पश्चिमी कोने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 03 अपने हिस्से 69/238 भाग पर व तरफ पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर अप्रार्थी संख्या 03 अपने हिस्से 25/119 भाग पर आपसी बंटवार के अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और विवादित आराजी का मुताबिक कब्जा मौका व आपसी बंटवारा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक नजरी नक्शा तकासमा करने के लिये वाद पत्र पेश किया गया है। विवादित आराजी प्रार्थी व वादी व अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 राजस्व रिकार्ड में बिना तकासमा करायें दीगर अजनबी क्रेताओं को विक्रय करके प्रार्थी/वादी के बहामी बंटवारा में आयी आराजी से बेदखल करके कब्जा करा देने की फिराक में है यदि अप्रार्थी अपने अवैध मनसूबो में काययाब होकर वादी को अपनी आपसी बंटवारा की खातेदारी आराजी से वंचित कर दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फॅसना पडेगा जिसकी पूर्ति द्रव्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा ऐसी सूरत में अप्रार्थी को जर्ये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 की और से कोई भी उपस्थित नहीं आया जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा इकबाल जबाबप्रार्थना पेश कर निवेदन किया।

वकुलाय बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर गौर व मनन किया गया। पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 01 जमाबन्दी सम्वत 2070 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 1.1900 हैक्टेयर वाके मौजा बबेडी खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

जिनका विधिवत बंटवारा मुताबिक रिकार्ड नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी का मौके पर आपस में बंटवारा होना बताया है। तथा मौके पर बंटवारा के अनुसार ही काश्त करना बताया है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाना चाहा है। अप्रार्थी संख्या 03 ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी का मुताबिक कब्जा मौका बंटवारा किये जाने में अपनी सहमति हेतु अपना इकबाल जबाबदावा पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी के कथनों की ताईद अप्रार्थी संख्या 03 के इकबाल जबाबप्रार्थना पत्र से हो रही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाये जाने हेतु मुल वाद में मौके अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मगवाये जाने के आदेश किये जा चुके है। इस प्रकार प्रथम दृष्टय मामला व सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्ति होने वाली छति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.07.2019 मूल वाद के निर्णय तक सम्पूष्ठ की जांती है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल वाद रहे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 25-3-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)